न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
34 / 2024	दावा 177 RTA	26.04.2024	24.07.2025

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सतार जाति नाई (मुस्लमान)निवासी चूरू।
2. असलमखा पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
3. इनायतखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
4. बाबुखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
5. मुन्शीखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
6. वसिम पुत्र अहम्मद थीम जाति व्यापारी निवासी चूरू।
7. शमशेरखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
8. उप पंजीयक चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955

महोदय,

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा निम्नानुसार पेश है—

1. यह कि रोही ग्राम कस्बा चूरू के खेत खसरा नं. 231 व 3073/928 कुल तादादी 3.4841 है किस्म बारानी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थि सं. 01 से 7 के नाम से खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है।
2. यह कि वाद की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्राकर की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है, जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपभोग में लिया जा सकता है।
3. यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 से 7 द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारो के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि पर अकृषि प्रयोजन भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हे काई अधिकार प्राप्त नहीं है।
4. यह कि वाद कि मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 7 ने बिना अधिकार के शर्तो का उल्लघंन करते हुए उक्त ख.स. 231 व 3073/928 की भूमि पर समतलीकरण करके आवासीय प्लोटिंग का कार्य करते हुऐ भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है। कृषि भूमि को हानिप्रद कार्य कर क्षति पहुंचाई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के कब्जे मे उक्त भूमि को छोड़ा जाना उचित नही है। क्यों कि खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 7 कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राजस्थान [illegible] के [illegible]नुसार बेदखली योग्य जो गये है।
5. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 से [illegible] नुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनकी खातेदा[illegible] गई है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 7 उक्त भूमि से बेदखल [illegible] बेदखली होने के फल[illegible] खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गये है। जिसके लिए माननीय न्यायालय को आर.टी. एक्ट. की धारा 177 सपठित धारा 63(1) (5) में श्रवणाधिकार प्राप्त है।

6. यह कि वादी की और से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 7 को पटवारी हल्का के माध्यम से वादगत भूमि को अकृषि उपयोग में न लेने हुतु बार--बार कहा गया, मगर प्रतिवादीगण नहीं माने एवं आखिर दिनांक ....2024 को प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। अतः इसी दिनांक को वादी को भूमिधारी होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हेतुक (Cause of Action) प्राप्त हुआ है।
7. यह कि अदालतवाला को यह वाद सुनवाई के अधिकार प्राप्त है तथा दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है चुंकि राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है।
8. अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम कस्बा चूरू के खेत खसरा नं. 3033/1050 तादादी 4.6792 है, किस्म बारानी कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 से 4 से हटायी जाकर राजकीय सिवयचक भूमि धाषित की जावें।
9. प्रतिवादी संख्या 01 से 4 को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्रा अधिकार एवंम श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया तथा जरिए रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया परन्तु इनकी ओर से न्यायालय मे कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कि गई तथा तहसीलदार चूरू से वर्तमान मोका स्थिती रिपोर्ट मांगी गई जिसपर पटवारी कस्बा चूरू की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई की रोही कस्बा चूरू के खसरा नं. 231 व 3073/928 कि मोका रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है

1. यह कि ख.नं. 231 तादादी 1.0370 किस्म बारानी व ख.नं. 3073/928 तादादी 2.4471 है किस्म बारानी रोही चूरू में अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार व असलम खां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि.चूरू वगेरह के नाम से खातेदारी दर्ज है।
2. रिकॉर्डनुसार उक्त खसरों में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी व न्यायालय उपखण्ड चूरू के आदेशानुसार स्थगन का नोट लगा हुआ है।
3. मौके पर सड़के डाली हुई है व प्लॉटिंग का कार्य किया हुआ है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेरोकार राज की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवंम पैरोकार राज की बहस पर मनन करने से निम्न तथ्य परिलक्षित होते है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरुद्ध यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि रोही ग्राम, कस्बा चूरू स्थित कृषि भूमि, खसरा संख्या 231 (तादादी 1.0370 है.) व 3073/928 (तादादी 2.4471 है.) को खातेदारों द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है। वाद के अनुसार उक्त भूमि राज्य सरकार की स्वामित्वाधीन है, जिसे केवल कृषि उपयोग हेतु ही खातेदारों को प्रदत्त किया गया था। वादी के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार, चूरू से मौके की स्थिति रिपोर्ट मांगी गई। दिनांक 06.07.2025 को पटवारी हल्का चूरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्न प्रमुख तथ्य सामने आए:
खसरा संख्या 231 व 3073/928 की भूमि पर खातेदारी अब्दुल गफ्फार व असलम खां इत्यादि के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन आदेश (S... ...) दर्ज होने की स्थिति स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। मौके पर स्थगन आदेश के बावजूद ... निर्माण, समतलीकरण व प्लॉटिंग जैसी अकृषि गतिविधियाँ की जा रही ... स्थगन आदेश के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा अकृषि कार्य जारी ... न्यायालय की अवमानना एवं खातेदारी शर्तों का गंभीर उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1)(5) के अनुसार यदि कोई खातेदार कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजन में प्रयोग करता है, तो वह बेदखली योग्य है। इसके अतिरिक्त, जब न्यायालय द्वारा स्पष्ट स्थगन आदेश जारी हो चुका हो, तब उक्त आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आता है।

निर्णय

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नं. 231 व 3073/928 कुल तादादी 3.4841 है खातेदारो के नाम से खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने व उक्त भूमि को खाता सं. 1 में दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू
ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सतार जाति नाई (मुस्लमान)निवासी चूरू।
2. असलमखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
3. इनायतखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
4. बाबुखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
5. मुन्शीखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
6. वसिम पुत्र अहम्मद थीम जाति व्यापारी निवासी चूरू।
7. शमशेरखां पुत्र फुलेखां जाति कायमखानी नि. चूरू।
8. उप पंजीयक चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नं. 43 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी पैरोकार राज वादी, मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम रामसरा के खेत ख.नं. 231 तादादी 1.0370 है व ख.नं. 3073/928 तादादी 2.4471 है खातेदारो के नाम से खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने व उक्त भूमि को खाता सं. 1 में दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24 माह जूलाई सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested